भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2809**

**(जिसका उत्तर 20 मार्च, 2018/29 फाल्‍गुन, 1939 (शक) को दिया जाना है)**

**जन धन खातों में न्यूनतम जमा राशि को बनाए न रखने पर दंड**

2809. श्री किरनमय नन्दाः

 क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के लिए बचत खाते में न्यूनतम जमा राशि को बनाए रखने पर दंड के रूप में बैंक-वार और वर्ष-वार कितनी राशि संग्रहित की गई है;

(ख) क्या जन धन खातों पर भी न्यूनतम जमा राशि संबंधी दंड लागू है; और

(ग) यदि हां, तो जन धन खातों के न्यूनतम जमा राशि पर अब तक संग्रहित दंड की राशि का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)**

(क): वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 and 2017-18 (दिसम्‍बर 2017 तक) के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के तीन मुख्‍य बैंकों द्वारा बचत खातों में न्यूनतम जमा राशि न रखने पर एकत्रित किए गए प्रभारों का बैंक-वार ब्‍यौरा अनुबंध में दिया गया है। न्यूनतम जमा राशि न रखने पर निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों द्वारा एकत्रित किए गए प्रभार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा एकत्र किए गए प्रभारों से कहीं अधिक हैं।

 (ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशानुसार, बैंकों को प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत खोले गए खातों सहित मूल बचत बैंक जमा खातों (बीएसबीडी)के लिए किसी भी प्रकार की न्यूनतम जमा राशि को रखने की आवश्‍यकता नहीं होती है। सितंबर 2017 में, 30.31 करोड़ जन-धन खातों सहित 52.2 करोड़ बीएसबीडी खाते थे। इसलिए, इन खातों के लिए न्यूनतम जमा राशि न रखने पर कोई प्रभार नहीं लगाया जाता है। अन्‍य बचत खातों के लिए बैंकों को अपने बोर्ड की स्‍वीकृति से न्यूनतम जमा राशि न रखने पर प्रभार लगाने की अनुमति है। बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे प्रभार उचित हों और उनके द्वारा उपलब्‍ध कराई जाने वाली सेवा के औसत लागत की सीमा में हों।

\*\*\*\*\*

जन-धन खातों में **न्यूनतम बैलेंस न रखने पर दंड से संबंधित** दिनांक 20.03.2018 के राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न सं. 2809 के उत्‍तर के भाग (क) का अनुबंध

 **(बचत खातों में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर प्रभार के रूप में एकत्रित की गई राशि करोड़ रुपए में)**

|  |
| --- |
| **मुख्य निजी क्षेत्र के बैंक** |
| Sr. No. | बैंक का नाम | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 (up to Dec. 2017) |
| 1 | एक्सिस बैंक | 223.30 | 160.30 | 195.00 | 206.50 |
| 2 | एचडीएफसी बैंक | 454.75 | 449.67 | 460.73 | 336.51 |
| 3 | आईसीआईसीआई बैंक | 353.80 | 335.10 | 353.06 | 240.97 |
| **सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक** |
| 1 | इलाहाबाद बैंक | 17.80 | 26.75 | 24.34 | 12.00 |
| 2 | आंध्रा बैंक | 51.89 | 48.08 | 48.02 | 36.03 |
| 3 | बैंक ऑफ बड़ौदा | 40.77 | 46.65 | 13.18 | 12.06 |
| 4 | बैंक ऑफ इंडिया | 36.02 | 25.09 | 16.40 | 12.77 |
| 5 | बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 72.61 | 93.18 | 50.54 | 17.50 |
| 6 | केनरा बैंक | 101.17 | 117.16 | 106.58 | 62.67 |
| 7 | सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 54.06 | 55.54 | 56.63 | 68.97 |
| 8 | कॉर्पोरेशन बैंक | 27.00 | 37.90 | 38.91 | 15.37 |
| 9 | देना बैंक | 13.23 | 11.80 | 14.15 | 12.73 |
| 10 | आईडीबीआई बैंक लिमिटेड | 00.00 | 74.60 | 88.23 | 57.83 |
| 11 | इंडियन बैंक | 22.48 | 27.48 | 41.01 | 50.99 |
| 12 | इंडियन ओवरसीज बैंक | 61.15 | 64.03 | 77.57 | 33.33 |
| 13 | ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स | 00.59 | 00.81 |  00.08 | 01.03 |
| 14 | पंजाब एंड सिंध बैंक | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| 15 | पंजाब नैशनल बैंक | 91.81 | 98.09 | 134.16 | 97.34 |
| 16 | भारतीय स्टेट बैंक\* | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 1982 |
| 17 | सिंडिकेट बैंक | 28.35 | 29.39 | 36.08 | 32.63 |
| 18 | यूको बैंक | 27.43 | 14.55 | 03.65 | 00.49 |
| 19 | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 34.94 | 22.96 | 25.77 | 25.48 |
| 20 | युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया | 05.65 | 06.41 | 03.57 | 01.93 |
| 21 | विजया बैंक | 00.62 | 00.60 | 00.55 | 00.57 |

 स्रोत: बैंक

\*मासिक औसत बैलेंस आवश्‍यकता एसबीआई द्वारा 2012 तक लगाई गई थी। तदनुसार, एसबीआई ने 31.3.2016 में इसके लिए प्रभार लगाना रोक दिया था जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों सहित अन्‍य बैंकों ने उनकी बोर्ड-स्‍वीकृत पॉलिसी के अनुसार प्रभार लगाना जारी रखा। आरबीआई ने इसे दिनांक 1.4.2017 से पुन: शुरू कर दिया था। न्यूनतम बैलेंस आवश्‍यकता को तदनुसार एसबीआई द्वारा दिनांक 1.10.2017 से घटा दिया गया था। इसके अतिरिक्‍त, एसबीआई ने पुन: 1.4.2018 से विभिन्‍न स्‍लैब पर 75% तक के बचत बैंक खातों में औसत मासिक बैलेंस को न रखने पर लगाए गए प्रभार को कम करने का निर्णय किया है।